



राष्ट्रीय लोक अदालत

दिनांक : 14 सितम्बर, 2024

हरियाणा राज्य भर में

राष्ट्रीय लोक अदालत में उठाए जा सकने वाले मामलों की श्रेणियाँ –

- चैक से सम्बन्धित मामले (एन0 आई0 एक्ट),
- धन वसूली मामले,
- अपराधिक मामले जिनमे कानूनी तौर पर समझौता किया जा सकता है, (अपराधिक मिश्रित मामले)
- एक्सीडेन्ट क्लेम केस (एम.ए. सी.टी.),
- श्रम एवं रोजगार सम्बन्धी विवाद,
- बिजली, पानी और अन्य बिल्स,
- वैवाहिक विवाद,
- रख-रखाव के मामले,
- भूमि अधिग्रहण मामले,
- सेवाएं सम्बन्धी मामले,
- राजस्व मामले,
- अन्य सिविल और अपराधिक मामले,

यदि आप अपने मुकदमे को दूसरे पक्ष के साथ समझौते के माध्यम से लोक अदालत द्वारा निपटाना चाहते हैं तो आपका जो भी मुकदमा जिस न्यायालय में लंबित हो, आप उसी न्यायालय में दिनांक 13.09.2024 तक किसी भी दिन (अवकाश के अतिरिक्त) जाकर अपने मामले पर विचार करवा सकते हैं, जिसका निस्तारण दिनांक 14.09.2024 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए कृपया निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क करें।

- अंबाला- 0171-2532142
- भिवानी-01664-245933
- चरखी दादरी-01250-223890
- फतेहाबाद-01667-231174
- फरीदाबाद-0129-2261898
- गुरुग्राम-0124-2221501
- हिसार-01662-270078
- झज्जर-01251-252013
- जींद-01681-245048
- कुरुक्षेत्र-01744-220216
- करनाल-0184-2266138
- कैथल-01746-235759
- मेवात-01267-271072
- नारनौल-01282-250322
- पंचकुला-0172-2585566
- पलवल-01275-297003
- पानीपत-0180-2640222
- रेवाड़ी-01274-220062
- रोहतक-01262-257304
- सिरसा-01666-247002
- सोनीपत-0130-2220057
- यमुनानगर-01732-220840



हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

इन्स्टिट्यूशनल प्लॉट नम्बर 9, सैक्टर 14, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स नम्बर 0172-2562309, टोल फ्री नम्बर 1800-180-2057

ई-मेल hlsa.haryana@gmail.com वेब साइट www.hlsa.gov.in

